(5)

(187)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017 निगरानी R 1364-II-17

श्री लखन सिंह धाकड़ द्वारा आज दि. 15/05/17 को प्रस्तुत 15-5-17

1. रतनलाल पुत्र जबरा धाकड

2. कलाबाई पत्नी दौलतराम धाकड पुत्री जबरा

निवासीगण- ग्प्रम कपराना, तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र.

..................आवेदकगण

बनाम

श्रीमती सौनोबाई पत्नी श्यामलाल धाकड निवासीगण- ग्प्रम कपराना, तहसील व जिला शिवपुरी म.प्र.

...........अनावेदिका

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्र. 09/16-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है :-

15/05/17
Lakhan Singh Dhakar
Advocate

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, ग्राम कपराना तहसील शिवपुरी की विवादित भूमि पुराने सर्वे क. 59, 62, 64, 115, 470, 502, 657, 662, 669, एवं 672 कुल किता 10 कुल रकवा 10.43 हैक्टेयर, नया सर्वे क 184, 185, 463, 464, 758, 854, 891, एवं 893 कुल किता 8 रकवा 10.43 हैक्टेयर जिसके भूमि स्वामी स्वं देऊआ उर्फ देवलाल किरार थे। स्व.देऊआ उर्फ देवलाल किरार की मृत्यु के बाद उनकी एक मात्र वैधानिक वारिसान उनकी विवाहिता पत्नी काशीबाई के नाम फोती नामांतरण होगया। स्व.देऊआ उर्फ देवलाल किरार के कोई संतान नहीं थी निसंतान फौत होगये। स्व.देऊआ उर्फ देवलाल किरार मृत्यु के बाद उनकी पत्नी काशीबाई ने पुर्नविवाह जबरा के साथ कर लिया गया था। जहाँ

रतन लाल / सोनोबाई

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग 1364 पी.बी.आर./17 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-8-17	आवेदक के अभि. श्री एम.पी. सिंह धाकड़ द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई एवं प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते आवेदन पर आज सुनवाई के लिये लिया गया। केवियट कर्ता की ओर से श्री धाकड़ उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचारोपरान्त स्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर NOT Press में समाप्त किया जाता है। सदस्य	17/08/17 (Not Press)

(3)